

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना

SECC-2011 (ग्रामीण)

घोषणा पत्र

- I. मोटर चलित दोपहिया/तिपहिया/चार पहियों वाले वाहन/मछली पकड़ने वाली नाव धारक परिवार।
- II. मशीन चलित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण धारक परिवार।
- III. 50 हजार या उस से अधिक मानक सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवार।
- IV. सरकारी सेवक वाले किसी सदस्य के परिवार।
- V. सरकार के पजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार।
- VI. परिवार का कोई भी सदस्य 10,000 रुपये एवं उस से अधिक कमाता है।
- VII. आयकर अदा करने वाले परिवार।
- VIII. सेवा कर अदा करने वाले परिवार।
- IX. सभी कमरों के पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरे धारक परिवार।
- X. रेफ्रिजरेटर धारक परिवार।
- XI. लैंडलाइन फोन धारक परिवार।
- XII. कम से कम सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ एवं उस से अधिक सिंचित भूमि धारक परिवार।
- XIII. दो या उससे अधिक फसल-के मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि धारक परिवार।
- XIV. कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ एवं उस से अधिक भूमि धारक परिवार।

उपरोक्त दिए गए कंडिका में से मैं किसी भी श्रेणी में नहीं हूँ। एवं किसी भी प्रकार से त्रुटि पाए जाने पर उसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। मुझे सुकन्या योजना का लाभ दिया जाय।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

उक्त विवरणी मेरे द्वारा जांच कर ली गई है, इन्हें मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ दिया जा सकता है

ऑगनबाड़ी सेविका का
हस्ताक्षर एवं मुहर

पंचायत सचिव का
हस्ताक्षर एवं मुहर

मुखिया का
हस्ताक्षर एवं मुहर

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अन्तर्गत घोषणा - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अन्तर्गत आवेदिका सुश्री में अध्ययनरत है। माता / पिता / अभिभावक पता द्वारा दिये गये आवेदन कि जोच मेरे द्वारा कर ली गयी है, एवं सही है। प्रमाणित करती हूँ कि पूर्व में मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाइली योजना एवं मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अन्तर्गत इस परिवार में दो से अधिक बालिकाओं के लिए आवेदन मेरे द्वारा नहीं दिया गया है। यह परिवार मेरे कन्ट्रोल क्षेत्र में आता है।

महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर एवं मुहर

आंगनबाड़ी सेविका का हस्ताक्षर एवं मुहर

मुख्य मन्त्री सुकन्या योजना के अन्तर्गत विद्यालय / महाविद्यालय का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री माता / पिता / अभिभावक में अध्ययनरत है। इनका रोल नम्बर है। तिथि विद्यालय से उत्तीर्ण होकर इस विद्यालय में कक्षा

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहर

9. **संक्षेप प्रमाण पत्र**
(संबद्ध स्वीकृत पदाधिकारी)
- a. प्रमाण पत्र सं०
b. प्रमाण पत्र निर्गत सं०
10. माता का नाम ²
11. माता का आधार सं० ²
12. माता का बैंक खाता सं० एवं विवरणी ²
13. क्या परिवार SECC (2011) सूची में सम्मिलित है (ग्रामीण क्षेत्र) :
SECC (2011) की क्रमांक सं०
14. क्या परिवार अंत्योदय सूची में सम्मिलित है (ग्रामीण एवं शहरी)
हाँ/ नहीं (यदि हाँ तो राशन कार्ड सं० दें)
15. क्या लाभुक को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली
योजना का लाभ मिल रहा है (हाँ/नहीं)
(यदि हाँ तो विवरण दें)

पहली किस्त
दूसरी किस्त
तीसरी किस्त

चौथी किस्त
पांचवी किस्त

16. अनाथ लाभुकों के अभिभावक/ संस्थान की विवरणी ³
- a. नाम
b. आधार सं०
c. बैंक खाता सं० एवं विवरणी

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपर दी गई सभी सूचनाएँ सही हैं एवं दिए गए किसी भी गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी । मैं अपना आधार नं० अपनी सचेष्टता से इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जमा कर रहा/ रही हूँ ।

(माता का हस्ताक्षर)

(लाभुक का हस्ताक्षर)

(पहले एवं दूसरे वर्ग के लाभुक को छाड़ कर)

नोट:-

- मुख्यमंत्री कुशल्य योजना अन्तर्गत लाभ, माता को भते ताकत तक सीमित रहेगा।
 - माता की मृत्यु की दशा में पिता का हस्ताक्षर नाम /आधार संख्या बैंक खाता मान्य होगा। माता का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवश्यक है।
 - अनाथ लाभुक की दशा में अभिभावक/ संस्था का हस्ताक्षर नाम/आधार संख्या/ बैंक खाता मान्य होगा।
- (बाल कल्याण समिति द्वारा निर्गत आदेश/ प्रमाण पत्र तभी करने अनिवार्य)।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची- 834004

मुख्यमंत्री शुकन्या योजना

जिला -

प्रखण्ड/ नगर निगम /नगर पालिका / नगर परिषद / -

पंचायत का नाम - वार्ड सं० -

क्रम	लाभुक वर्ग	वांछित लाभुक वर्ग पर टिक लगाएँ (✓)
(i)	जन्म से दो वर्ष उम्र तक की बालिका	:
(ii)	कक्षा - I में नामांकित बालिका	:
(ii)	कक्षा - V उत्तीर्ण करने वाली बालिका	:
(iv)	कक्षा - VIII उत्तीर्ण करने वाली बालिका	:
(v)	कक्षा - X उत्तीर्ण करने वाली बालिका	:
(vi)	कक्षा - XII उत्तीर्ण करने वाली बालिका	:
(vii)	18-20 वर्ष उम्र की वयस्क युवती	:

लाभुक की विवरणी

1. नाम
2. जन्म तिथि
(जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति, यदि 18-20 वर्ष उम्र के बीच हो तो Voter ID Card की छायाप्रति)
3. विवाहित / अविवाहित
(यदि 18-20 वर्ष तथा विवाहित हैं तो विवाह-निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
4. जन्म क्रम ¹
5. आधार सं०
6. बैंक खाता सं० एवं विवरणी
7. विद्यालय का नाम
8. कक्षा